


यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

मु० न०:- 33 / 2020

तारीखरजु:- 3/7/2020

उनवान:- मगन बनाम शेरसिंह

दावा वावत इस्तकरारहक, तकास्मा, स्थायी निषेधाज्ञा

दिनांक	फर्द अहकाम
3-7-2020	<p>वादी की ओर से श्री मदन मोहन शर्मा एडवोकेट ने दावा वावत इस्तकरारहक, तकास्मा, स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत घारा 88, 188, 53 के तहत प्रस्तुत किया गया, अवलोकन किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तहसील क्षेत्र टोडाभीम को जरिए तहसीलदार एवं तहसील क्षेत्र टोडाभीम से बाहर के सम्मन जरिए वादी रजिस्टर्ड ए.डी. खर्च पर जरिये सम्मन नोटिस तलब कर पत्रावली दिनांक 10.07.2020 को पेश हो।</p>
	<p> उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली</p>
10.7.20	<p>पत्रावली पेश हुई। वादी वकील उपस्थित। प्रतिवादी नं. 1 व 2 की ओर से श्री विजयशरती एवं सुहृन्नाल शीता ने कदालतनामा पेश किया। प्रतिवादी नं. 3 व 4 का उत्तर 13 जवाब सूचना उपस्थित नहीं, उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है। जबकि दावा पेश करने दि. 7-8-20 को पेश हो।</p>
4.9.20	<p>भाकडाउन के कारण जनरल चेशीले पेश हुई। प्रतिवादी नं. 1 व 2 का जबाब दावा पेश करने दिनांक 23.9.20 को पेश हो।</p>
23.9.20	<p>वकील वकील/वकील उमय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी मुनाषकार दि. 23.9.20 पत्रावली गतानुसार दिनांक 28-10-20 को पेश हो।</p>
28-10-20	<p>वकील वकील/वकील उमय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी करौली प्रयोग दि. 28-10-20 पत्रावली गतानुसार दिनांक 1.12.20 को पेश हो।</p>
17.11.20	<p>अवकाश घोषित</p>
18.11.20	<p>वकूलाय उपर) जबकि पेश करने दि. 23.12.20 को पेश हो।</p>

2886-98
3/7/20



पालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम

५
२६ पत्तावकी पैसा डुई / वकील रुग्णमपडाकारण
रुग्णमपडा / वकील पडाकारण को वरदान
रुग्णम वरदान देई कर्मिण-मोका विमा-गया
वाले वरदान धरद्वारा रुग्णम डीनाऊ १२-५-२५
को पैसा देई

१२
२५ पत्तावकी पैसा डुई / वाडी उप वाडी वकील
कोही रुग्णमपडा नही / वाट २ भावाज
विषादी गद्दी / इसके वाचपुठ भी कोही
रुग्णमपडा नही हुना हुसलेउ वाडीका शया
वापर हुसलेउक नकास्मा रुग्णमी
निषे-चासा खासि जा विमा जार छे /
पत्तावकी पैसा वरदान देई नकास्मा
कम कल हाविक डार छे